ई0पत्रावली संख्या–82548

प्रेषक,

डॉ0 आर0 राजेश कुमार,I.A.S,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता,
सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून ।

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक, मार्च, 2025

विषय–राजस्व लेखा मद में वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु अनुदान संख्या–20 में 03 कार्यकारी अधिष्ठान के अन्तर्गत 42–अन्य विभागीय व्यय मद से 27–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान मद में पुर्नविनियोग एवं राज्य आकस्मिकता निधि के माध्यम से धन की मांग के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–20/प्र0अ0/सिं0वि0/बजट/बी0–01 (पुर्नविनियोग)/कैम्प, दिनांक 06.01.2025 में किये गये प्रस्ताव के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री दिनेश द्विवेदी, वरिष्ठ अधिवक्ता, मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के समक्ष योजित विशेष अपील संख्या एस0पी0ए0 149/2021, टी0एच0डी0सी0 इण्डिया लि0 बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में जलकर से सम्बन्धित कोर्टकेस की पैरवी हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रश्नगत मद में बजट उपलब्ध न होने के कारण धनराशि रू0 206.00 लाख (रूपये दो करोड छः लाख मात्र) राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में आहरित करने एवं व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की निम्नलिखित शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए यह स्वीकृत की जा रही है। उक्त धनराशि का आहरण/व्यय संबंधित वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित प्राविधानों, बजट मैन्युअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 एवं समय–समय पर संशोधित के अन्तर्गत एवं शासन द्वारा मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार नियमानुसार ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

2. राज्य आकस्मिकता निधि से आहरित की जा रही धनराशि के प्रतिदान हेतु आवश्यक बजट व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2025–26 के बजट के अन्तर्गत सुसंगत लेखाशीर्षक में करा दी जायेगी।

3. उक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय वास्तविक आवश्यकताओं के आधार पर ही किया जायेगा। अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में धनराशि का अनावश्यक व्यय कदापि न किया जाए।

4. अवमुक्त की गयी धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.2025 तक कर लिया जाय, उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय

तथा यदि उक्त तिथि तक कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे नियमानुसार शासन को समर्पित कर दिया जाय।

5. वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–201358/09(150)2019/XXVII(1)/2024, दिनांक 22 मार्च, 2024 का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये और वांछित सूचनायें निर्धारित प्रपत्रों पर यथासमय शासन को उपलब्ध करा दी जाये।

6. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय **प्रथमतः** लेखाशीर्षक–8000–आकस्मिकता निधि–राज्य आकस्मिकता निधि–लेखा–201–समेकित निधि के विनियोजन के अन्तर्गत तथा वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–20 के लेखाशीर्षक–2700–80–001 –03–00–27–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान मद के नामे डाला जायेगा।

2– यह आदेश वित्त अनुभाग–1 की कम्प्यूटर जनरेटेड संख्या–।/283730/2025, दिनांक 19 मार्च, 2025 में प्राप्त उनकी सहमति के क्रम में जारी किया जा रहा है।

संलग्नक : अलॉटमेंट आई–डी।

Signed by
Rajan Rajesh Kumar
Date: 20-03-2025 17:44:51

भवदीय,

(डॉ0 आर0 राजेश कुमार)
सचिव

रा0आ0निधि संख्या–32 (P)/XXVII(1)/2024-25, दिनांक : 19 मार्च, 2025

प्रतिलिपि प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, (लेखा एवं हकदारी), कौलागढ़ रोड, देहरादून को 01 अतिरिक्त प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

डा0 अहमद इकबाल
अपर सचिव

संख्या– 82548/2025 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–2।
5. बजट राजकोषीय, नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by
Garima Raunkali
Date: 20-03-2025 16:17:13

(गरिमा रौंकली)
अपर सचिव।